संख्या-16/2023/**डीएफए/508852**/002/38-6099(99)/28/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

ग्राम्य् विकास,

उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक** -13.09.2023

विषय:- महिला सामर्थ्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रु० 1739.52 लाख धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-5055/3937/आजीविका/लेखा/2023-24, दि0-14.07.2023 एवं पत्र सं0-5101/3937 आजीविका/लेखा/2023-24, दि0-20.07.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु महिला सामर्थ्य योजना अन्तर्गत रु० 6337.00 लाख धनराशि का प्राविधान शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-09/2023/001-38-6099 99 28 2021, दिनांक: 10 अप्रैल, 2023 द्वारा 'सामर्थ्य मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड' हेतु रु० 4033.33 लाख धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार बजट प्राविधान के सापेक्ष 2303.67 लाख धनराशि अवशेष है। योजना शत प्रतिशत राज्य पोषित योजना है। मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुरोध के क्रम में महिला सामर्थ्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कुल रु० 1739.52 लाख धनराशि निर्गत किया जाना है।

2- अतएव वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा की गई बजट व्यवस्था में से उक्त परियोजना हेतु रु० 1739.52 लाख (रू0 सत्रह करोड उन्तालीस लाख बावन हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

1. आंकडों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य् विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
3. धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
4. धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्यस विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथावश्यकता सामग्री, उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
9. धनराशि के आहरण एवं व्यय के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेश एवं वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/ बी-1-22/ दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च, 2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

का संज्ञान लेते हुए उसके अनुसार कार्यवाही/अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

12. **यूपीएसआरएलएम की झाँसी की बालिनी मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डेयरी सर्विसेज के साथ संचालित है, उसी तर्ज पर अन्य उत्पादों के लिए भी प्रोड्यूसर कम्पनीज स्थापित करते हुए कार्य किया जायेगा। यह टिप्पणी मुख्यतः मिल्क प्रोड्यूसर कम्पनी के उदाहरण पर आधारित है, परन्तु इसी तरह का कार्य किसी भी उत्पाद के लिए किया जाना है।**

13. **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा बनाये जा रहे प्रोडक्ट के लिए वैल्यू श्रृंखला के विकास में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं के विकास में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के साथ कन्वर्जन किया जायेगा।**

14. **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) जो की राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड(NDDB) की सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक संस्था है, को दीनदयाल अन्त्योदय योजना डे-एनआरएलएम सपोर्ट संगठन (DNSO) के रूप में चिन्हित किया है। इसी क्रम में उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में केवल महिला सदस्यों के स्वामित्व वाली मिल्क प्रोड्यूसर कंपनिया स्थापित करने में सहायता कर रही हैं।**

15. **महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां एवं महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे अन्य उत्पादों के लिए प्रोड्यूसर कंपनियां गठित कर कार्यवाही कराना, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के साथ महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी गठित करने के लिए अनुबंध करना एवं इस योजना के अंतर्गत**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी।

16. परियोजना के लिए संभावित घटकवार व्यय का उल्लेख परियोजना दस्तावेज में किया जायेगा। वित्त पोषण के लिए डेयरी वैल्यू श्रृंखला विकास परियोजनाओं के तहत परिकल्पित प्रमुख लागत घटक है। मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी को वित्तीय सहायता अधिकतम 03 वर्षों की अवधि के लिये होगी।

17. आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना के तहत वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित गतिविधियों को अन्य स्रोतों/कार्यक्रमों के माध्यम से वित्त पोषित न किया जाए। परियोजना शासनादेश संख्या-467/38-21-467एलसी/2021, दिनांक-29.10.2021 के अनुपालन के अनुसार होगा।

18. दिशानिर्देश (Guidelines) के अनुसार, मानव संसाधन और प्रशासनिक लागत प्रोड्यूसर कंपनी को कुल वित्तपोषण सहायता के 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

19. परियोजना का वित्तीय लेखा परीक्षा एसआरएलएम के चार्टेड एकाउंटेंट या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। ऑडिट रिपोर्ट लेखा परीक्षक की टिप्पणियों और परियोजना के तहत भौतिक प्रगति पर की गई कार्रवाई के साथ राज्यांश शेयर की तीसरी किस्त जारी करने के समय प्रस्तुत की जायेगी।

20. स्वीकृत परियोजना की निगरानी और आवधिक समीक्षा के लिए यूपीएसआरएलएम राज्य स्तर पर एक समिति का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम करेंगे। राज्य समिति में संयुक्त मिशन निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धक, वित्त, राज्य परियोजना प्रबन्धक, आजीविका एवं एन0डी0एस0 के सदस्य होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एमओआरडी के प्रतिनिधियों को त्रैमासिक समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये रु० 1739.52 लाख ((रू0 सत्रह करोड उन्तालीस लाख बावन हजार मात्र))को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 2515001020500 महिला सामर्थ्य योजना मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई0-2-120/दस-2023-24 दिनांक-04.09.2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र राम
उप सचिव।

संख्या एवं तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार/मुख्य/ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
6- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र राम
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in